THE ARMY (AMENDMENT) BILL, 1992

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS WITH ADDITIONAL CHARGE OF MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): Madam, it is my privilege to bring before this august House the Army (Amendment) Bill, 1992 which seeks to amend the Army Act, 1950, the legislation which deals with the commission, appointment, conditions of service, punishment, court-martial etc., in the working of the Indian Army. Madam, the Army Act, 1950 was essentially a carry-over from the original Army Act, 1911 in which only certain basic changes were made in conformity with the new Constitution of India under changed circumstances. The Indian Army has expanded and diversified. Four decades have passed and it was thought necessary by the Government that certain essential changes be incorporated and the Act amended to suit the changed circumstances. Madam, the Army Act has 122 sections and only 22 sections of the total are sought to be amended I shall be as brief as possible. Out of the 22 sections, amendments to 6 sections relate to change and amendments to 5 sections are merely cosmetic. There has been a new Criminal Procedure Code enacted in 1973 replacing the original Criminal Procedure Code of 1898. So wherever CrPc, 1898 appears it is sought to be replaced by CrPC, 1973. It is a consequential and cosmetic change. Amendments to 9 sections are proposals to avoid or delete provisions relating to field punishment as penalty in the army is a carry-over from the pre-independence days. It is archaic in nature. It relates to physical harnessing of offenders and restraining them by use of change and ropes and so on. This is not in consonance with modern jurisprudence or equity or human dignity. Happily this provision was never used by any court martial in its verdic after independence. So it is superfluous. So the field punishment provision is sought to be removed. Amendments relating to 9 sections are connected with the removal of the field punishment. That means we have only eight sections in which substantive variations and amendments are sought to be made. I shall say one sentence each giving the relationale of each of these 8 amendments. Amendment to section 85 has for its purpose delegating the powers of Commanding Officers, improving the powers of Commanding Officers to allow them to give repriman to JCOs. This has become necessary because the rank of the Commanding Officer has been made higher from Lt.-Col to Colonel. It is necessary for the prompt despatch of work. In section 90 again it is delegation. Previously only the Central Government could deduct from the pay and allowance of officers the charges for the maintenance of wife and children etc. Now it is sought to be delegated to prescribed authorities because the Army has expanded manifold. In section 122, the change is sought to be made on the analogy of section 469 of CrPC excluding the time span during which the offence did not come to the knowledge of the authority to initiate action. This is necessary so that offenders do not escape on the basis of the original time limit. In section 123, the period during which the person has been evading arrest or disciplinary proceedings and stay is granted by courts is sought to be excluded from the period that is given within which the offender has to be booked. This is also sought necessary on the basis of experience so that offenders may not escape the net of the law. Under Section 127, we seek to avoid double jeopardy for people punished by the court-martial. In the original Act, even though an officer or a jawan may be exonerated by the court-martial, an aggrieved person can move the criminal court and conduct cases against him. This will mean double jeopardy. So we seek to avoid this so that once the court-martial exonerates an army officer or a jawan, no criminal liability will lie for further prosecution against him.

Under Section 142, previously, only one authority, the chemical examiner's report, can be brought in as evidence. Now the Government has expanded the scope of the forensic examination. We want to include, in that Section, other authorities whose reports can also be introduced in evidence.

Finally, Madam, under Section 169, the period spent by an indicated officer or jawan during investigation, enquiry or trial is sought to be excluded from the period of punishment. If somebody is punished or sentenced to serve a certain period in prison and soon, the period already spent by him in detention, trial, etc. is sought to be excluded and only the remaining period need be calculated as the period of his sentence. Madam, we don't say that this is a totally comprehensive amendment. Only 22 sections, which have a certain degree of urgency in terms of removing anomalies and which have become necessary because of changed circumstances, have been included. A committee of the Army is going into the other sections to find out whether changes are necessary and if it is necessary, further amendments will be brought within a year. The changes are progressive in nature. They seek to remove anomalies. They are required for the effective functioning of our glorious Army with great traditions. It is necessary that this Army (Amendment) Bill is passed by this august House so that the Army can function effectively, the morale of the forces can be maintained and the archaic punishments which are no longer relevant can be removed from the statute book. Madam, I move:

That the Bill further to amend the Army Act, 1950, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.

The question was proposed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now I have quite a number of names. But we have only one hour allotted for this. So if the Members will consider speaking accordingly, we can finish it within that time.

श्री शिव चरण सिंह (राजस्थान) : माननीय मैडम, माननीय मंत्री जी ने इस कानून को प्लेस करते समय आखिर में एक बात कही कि यह कानून प्रोग्रेसिव कानून है और इसलिए पास करना चाहिए। मैं इसका इसलिए विरोध करता हूं कि यह कानून कतई प्रोग्रेसिव नहीं है। 1950 का जो आर्मी एक्ट था या 1911 में ब्रिटिश इंडिया के जमाने में अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था यह उसकी डिटो कापी है। आज 1950 के कानून में इनकी मजबूरी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हुई है। हमारी सी.पी.सी. में अमेंडमेंट, यह 1973 में सी.पी.सी. आई। उसकी वजह से ये अमेंन्डमेंट लाना चाहते हैं। आज के परिपेक्ष्य में सारे देश में आजादी के 45 साल के बाद हमारे भारतवर्ष का जो आर्मी एक्ट है वह घिसी-पिटी उन्हीं लाइनों पर है जिन लाइनों पर ब्रिटिश जमाने में 1911 में कानून बना था। इसमें आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत इसलिए है कि यह सारा कानून जज एडवोकेट जनरल के सिस्टम पर आधारित है। माननीया मैडम, किसी महान व्यक्ति के कहा है–

"The armed forces are governed by the judge-advocate system, as provided by the Army Act. The Act prescribes justice and punishment to the guilty through the concept of the general court-martial (GCM). Where a man in uniform tries another man in uniform, under the Act based on army traditions, one of them being disciplined gets protection."

यहां केवल सेक्शन 33 जो हमारे संविधान का है उसमें प्रावधान है कि उसमें एमेंडमेंट लाना चाहिए। इसलिए कभी का इसमें परिवर्तन ला कर इस सारे कानून को बदलना चाहिए था। लेकिन हमारे मंत्रीगण रहे कि उन्होंने इस पर कभी एक्सोरसाइज नहीं की

[श्री शिव चरण सिंह]

और न चेष्टा की कि इस कानून को बदलना चाहिये क्योंकि आज के जमाने में आप महसूस करेंगे कि बीसवीं सदी का जमाना चला गया और इक्कीसवीं सदी आ रही है । मैडम, यह जमाना स्पेस युग है और संचार माध्यम इतने भारी बढ़े हुए हैं और दुनिया भर के फौज़ी सिस्टम में बदलाव आ गया है । हमारे देश को आज बड़ी भारी इसकी जरूरत है । एक जमाना था जब हमारे यहां कैवलरीज में घोड़े चलते थे । फिर हमारे जो आर्मर्स हैं उन्होंने टैंक चलाये । लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि हमारी फौज का आदमी हेलीकोप्टर्स पर चले ! आज हमारे यहां पर एयर कंवलरीज की जरूरत है, आज इस कानून की जरूरत नहीं । इसी रफ्तार से अगर हमारे कानून बन गये तो हमारी फौज का ट्रेडीशन ऊंचा रहेगा, हमारा डिसिप्लिन अच्छा रहेगा लेकिन अगर घिसे पिटे कानून से आज के जमाने में इसको चलाया गया तो हमारी फौज का मारल डाउन हो जायेगा और फौज के लोगों में डिमारलाइजेशन आ जायेगा । हम यह नहीं कह सकते कि दुनिया का असर हमारी फौज पर न पड़ा हो, हमारी फौज के जवानों पर, हमारी फौज के अफसरों पर, आज दुनिया के जो सारे हालात बदले हैं, कम्युनिकेशन के जरिये बदले हैं, उनका आज असर पड़ा है । इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं एक जमाना था इस कानून का, जब आपको मसल पावर की जरूरत थी । लेकिन जो आज आपका रेक्रूटमेंन्ट का सिस्टम है उसमें ब्रेन पावर की जरूरत है । जो आप रेक्रूटमेंन्ट करते हैं उसमें ब्रेन पावर देखते हैं, मसल पावर का जमाना चला गया जब कि यह कानून बना हुआ था । आपने यह मामूली अमेंडमेंट करके सारे फौजी लोगों का मारल डाउन किया है । मैं आपसे पुन: निवेदन करना चाहता हूं कि इसको विदड्रा करिये और आमूलचूल, इस सारे कानून को बदलिये । सारा कानून अगर आपने नहीं बदला तो देश की आज जो आम दशा होती चली जा रही है वह हमारे डिफेंस फोर्सेज के अंदर होगी । डिफेंस फोर्सेज में डिसिप्लिन और मारल ये दो बड़ी जरूरी चीजें हैं । इसको बनाये रखने के लिये यह पुराना घिसा पिटा कानून जिसके साथ आपने प्रोग्रेसिव वर्ड जोड़ा है, मैं इसको बिल्कुल अनुपयुक्त मानता हूं । इसलिये आप कृपया इसको विदड्रा करिये ।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में डिसिप्लिन के नाम पर क्या कार्यवाही होती थी । माननीय मैडम, हमारे यह डिसिप्लिन के नाम पर . . .

Discipline means, as General Marshal once said, "to train, to teach and not to punish".

यह जो सिद्धांत हैं ये पुराने सिद्धांत हो गये हैं । आज के जमाने में सारे बदलाव आ गये । इस बदले हुए जमाने के परिप्रेक्ष्य में माननीय मंत्री जी आपको यह सब कुछ करना पड़ेगा । माननीय मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1978 से 82 तक इस कानून के अन्तर्गत 85 सौ जवानों का ट्रायल हुआ जिनमें से केवल 7 आदमी बरी हुए और तीन आदमियों ने रिट पेटीशन दी । सुप्रीम कोर्ट ने जो स्ट्रक्चर पास किये, क्योंकि आप जानती हैं कि आर्म कानून के अन्तर्गत आर्मी ऐक्ट परमिट नहीं करता, और वह सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता । लेकिन उन्होंने जनरल ला के तहत यह किया । हमारा जो जूडिशियल सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अपील सुनने का, उनको आर्टिकल 136 और 227 में अधिकार नहीं था । केवल अंडर आर्टिकल 32 और अडर आर्टिकल 226 के अन्तर्गत जनरल ला में वह जाते हैं लेकिन उनको वहां सुनवाई का मौका नहीं दिया जाता । लेकिन नेचुरल जस्टिस के तहत जो जजमेंट उनका हुआ है, तो आप अंदाजा लगाइये कि जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक्चर पास किया है, उस पर इन लोगों ने इस बात को महसूस किया कि इस कानून में कुछ बदलाव लाना चाहिये । माननीय मैडम मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इनके बारे में, आर्मी ऐक्ट के बारे में कहा है, उसको मैं यहां पर रखना चाहता हूं । सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि :

A bench of the Supreme Court Mr. Justice Y. V. Chandrachud, Mr. Justice D. A. Desai and Mr. Justice A.N. Sen, observed in their judgement that there was a need to remove the archaic Army Act in view of the glaring lacunae and to provide for an appeal to the judiciary with a hope and belief that the changes all over the English speaking democracies will awaken our Parliament to change the value system. These judges drew the Government's pointed attention to the glaring anomaly that the General Court-martial did not give the brief reasons in support of his conclusions, even in cases where he had imposed death sentence.

डेथ सेंटेंस दी लेकिन उन्होंने प्रूफ नोट नहीं लिखा कि क्या कारण था ऐसे जो स्ट्रिक्चर्स सुप्रीम कोर्ट ने दिये हैं उनकी वजह से मजबूर हो कर के आपको बदलना पड़ा है। लेकिन जनरल कानून आज की परिस्थिति में आप देखें, पुराना कानून अगर रहा तो कितना बड़े अन्याय होंगे? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय मन्त्री जी कि आज के जमाने की जरूरत को पहचानते हुए आप इस कानून को विदड्रा करिये। हमारे यहां तो यहां तक देखा गया है कि इस कानून के अन्तर्गत माननीय मंत्री जो आप को देखना चाहिये कि आपके आर्मीएक्ट के तहत रूल 95 और 129 में जो डिफेंस काऊंसल का प्रोविजन है आप ही कोर्ट मार्शल को रिव्यू करें। आप किसी जनरल या दूसरे अफसर की रिपोर्ट के आधार पर न दीजिये, सक्रेटेरियेट की रिपोर्ट भी न देखें कुछ कोर्ट मार्शल की रिपोर्ट आप लाइये और उसको देखिये। आप देखेंगे सैकड़ों केसेज में डिफेंस काऊंसल को अलाऊ नहीं किया है सकड़ों केसेज के ट्रायल में, जबकि आपके आर्मी एक्ट में भी प्रोविजन है। ऐसे अन्याय यदि किसी कानून के माध्यम से हो सकते हों तो उस कानून को आज रखना कितना घोर अन्याय होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अन्दाज कीजिये कि 8500 केसेज में से 7 बरी हुए। अगर फौजियों पर अन्याय होगा तो फौजियों में बड़ा भारी डिसेसेटिस्फेक्शन आएगा। यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में। आज आपके रिक्रूटमेंट के सिस्टम को लें, प्रोमोशन के सिस्टम को लें, फौज में जो सारे तौर तरीके चल रहे हैं, उनको आप देखें। रिक्रूटमेंट के सिस्टम में आपने देखा होगा कि कितनी घोर अनियमितताएं हैं। आपने रिक्रूटमेंट के सिलसिले में इस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट दी। आपकी कई और रिपोर्ट भी आई हैं। उनमें यह बड़े भारी भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतें मिली हैं। सी०एंड०ए०जी० की रिपोर्ट के अनुसार जो मई के महीने में आपको प्रस्तुत की गई है 48 डिस्सिप्लिनेरी एक्शन दज किये गये 19-6-87 से 1990-91 तक। यह आपने खुद ने माना है कि रिश्वतखोरी हुई है, भर्ती के मामले में आपने खुद माना है कि इररेगुलर्टीज हुई हैं। यह मैंने नहीं कहा है, यह आपकी कई रिपोर्टों में है कि आपके यहां कई डिस्सिप्लिनेरी एक्शन हो रहे हैं ट्रेनिंग के विषय में आप देखें। पुराने जमाने में जो ट्रेनिंग होती थी और आज के पीरियड में कितना फर्क आ गया है कई हफ्ते पीरियड कम हो गया है। जहां पहले 55.78 ट्रेनिंग वीक्स होते थे वह कम हो कर के 30.75 वीक्स रह गये हैं। इसी बारे में आपकी इस्टीमेट कमेटी ने रिपोर्ट दी है, इस कमेटी की रिपोर्ट को आप एग्जामिन कराइये यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आज आपका जो आफिसर्ज के रिक्रूटमेंट का सिस्टम है वही पुराना सिस्टम अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। यू०पी०एस०सी० के माध्यम से आज के जमाने में कम्पीटीशन के जमाने में आर्मी में आप लेफ्टीनेंट भर्ती करते हैं। एक जमाना था जब मैं भर्ती हुआ था। आज के जमाने जो स्टेंडर्ड है और उस जमाने में स्टेंडर्ड था, उसमें कितना फर्क है। मैं अपको बताना चाहता हूं कि 17-18 साल की सर्विस के बाद एक लेफ्टीनेंट फुल कर्नल बनता है। सिविल सर्विसेज में जो आई.ए.एस. भर्ती होता है वह 17-18 साल में कमिश्नर या हैड आफ दी डिपार्टमेंट हो जाता है। कोई टेक्नोक्रेट इंजीनियर बने तो कहीं का कहीं चला जाता है। फौजी माइंडेड लोग ही फौज में आते हैं। आप फौज में आने के बाद उस जवान को पिंजरे में बंद कर देते हैं। उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। प्रो प्रोमोशन के ऐवेन्यूज नहीं रहते हैं। प्रोमोशन ऐवेन्यूज नहीं रहते हैं। तो वह करप्ट हो जाता है करप्ट होने के बाद उसका असर आपकी

[श्री शिव चरण सिंह]

फौज पर पड़ता है । प्रोमोशन के ऐवेन्यूज़ नहीं हैं । 17–18 साल की सर्विस के बाद वह लेफ्टीनेंट कर्नल बनता है, 19 से 25 साल की सर्विस के बाद लेफ्टीनेंट कर्नल से फुल कर्नल बनता है । 28 साल की सर्विस में वह ब्रिगेडियर बनता है । 30–32 साल की सर्विस के बाद वह जनरल बनता है । मैं मानता हूं कि इससे उनका तजरुबा बढ़ जाता है लेकिन उम्र के लिहाज़ से उनके शरीर में जान क्या रहती है । इसलिए इस सारे सिस्टम को आपको बदलना पड़ेगा ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आपके कैंटोनमेंट एरियाज़ की क्या हालत है ? आपने एक्स-आर्मी मेन की वेलफेयर के लिए कितनी हिदायतें दी हैं लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख कर पूछिये कि उनका इम्पलीमेंटेशन कितना होता है ? आपकी सेना के जो तीनों विंग्ज़ हैं आर्मी, एयर और नेवी, इन तीनों के अफसरों की पोज़ीशन क्या है ? आपको इस सिस्टम में कुछ न कुछ बदलाव लाना पड़ेगा । आप जानते हैं कि आज के ज़माने में बिना कोआर्डिनेशन के काम नहीं चल सकता है । इस सारे सिस्टम को आप इस परिप्रेक्ष्य में एग्ज़ामिन करें और पूरे कानून में व्यापक संशोधन करें । यदि आप फौजियों का हित चाहते हैं, निश्चित तरीके से आप यह चाहते हैं कि हमारे देश की फौज में वही डिसिप्लिन रहे जो ब्रिटिश इंडिया के पुराने ज़माने में था तो आपको बदलना पड़ेगा । आप देखिये फौजियों के इमालूमेंट्स क्या हैं ? आपने घोषणाएं की वन रेंक वन पेंशन की, क्या हुआ उस बात का ? आपने घोषणाएं की वार विडोज के लिए, क्या पेंशन आप उनको देते हैं ? आपने एक्स आर्मीमैंन के रिहैबिलिटेशन के लिए घोषणाएं की हैं, दुनियां भर के डायरेक्टोरेट खोल रखे हैं । आप यह नहीं कर पाए, ब्रिटिश इंडिया के टाइम की जाति के आधार पर आज भी रेजीमेंट्स हैं ।

आप उनको नहीं बदल पाए । आज जाति के नाम की रेजीमेंट, राजपूत के नाम की रेजीमेंट, मराठा के नाम की रेजीमेंट, सिक्ख के नाम की रेजीमेंट हैं । जातियों को एप्रीशिएट करते हैं । यह आपकी गलत नीति है । अगर आपने यह नीति रखी तो आपकी फौज के अंदर बगावत हो जाएगी । आपको इस चीज को बदलना चाहिए । ये डिसीपिटी जो चीजें हैं, डिसेंपिटे जो तरीके हैं पुराने उनमें आमूल चूल परिवर्तन लाना पड़ेगा आपको । आपको यह देखना पड़ेगा कि हमारे देश को एक रूप बनना है, कन्सालीडेट करना है । आज केवल एकमात्र इस देश की फौज है जिसमें सारे देश को एक स्वरूप बना रखा है । अगर इसमें आपने नेतागिरी की, इसको आपने विशुद्ध बना दिया तो देश को कलंक लगेगा, देश की पास कुछ नहीं बचेगा । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो अमेंडमेंट आप लाये हैं इसको विदड्रा करिये और विदड्रा करने के बाद या इसको सिलेक्ट कमेटी की रेफर करिये या किसी और एजेंसी को दीजिए, एक्सपर्ट कमेटी को दीजिए, फौज के जनरल्स की एक कमेटी बनाइये कि कैसे कानून बदलना चाहिए, उसमें अमेनिटीज आनी चाहिए, हमारे प्रोमोशंस का एवेन्यू कैसे डेवलप हो और हमारी फौज की तरफ लोग आयें । आज आपके पास डिसेंपिटे आदमी आ रहे हैं । आपके यहां जितने सिलेक्शन बोर्ड आ रहे हैं उनमें जीनियस लोग नहीं आ रहे हैं । अच्छी सर्विसेज के लिए लोग प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाते हैं । आर्मी का जो रिक्रूटमेंट है, अफसरों का जो सिलेक्शन है उसमें उस केलीबर के लोग नहीं आ रहे हैं जो आज से 25–30, 40–50 साल पहले आते थे । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप नवयुवक हैं । थोड़ा सा फौज की सोहबत में रहकर कुछ डिसिप्लिन आपमें आया होगा । बेसिकली हम अनडिसिप्लिन्ड होंगे । लेकिन आज आपके मेन में डिसिप्लिन फौजियों के साथ रहकर आया होगा । डिसिप्लन्ड होकर हिम्मत से कहिए कि मैं विदड्रा करता हूं और फौजियों के ऊपर दूसरा कानून लाऊंगा, सुधारवाद को सामने रखूंगा, फौजियों में अनुशासन और देश के प्रति प्रेम की भावना भरूंगा, यह कहकर आप इसको विदड्रा करिये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

SHRI ASHIS SEN (West Bengal): Madam, I wish to associate myself with the main statement that he has made. It is a positive statement.

उपसभापति : बड़ा भारी चैलेंज दे दिया है मंत्री जी आपको डिसिप्लिन के सिलसिले में । श्री एस.एस. अहलुवालिया ।

श्री एस०एस० अहलूवालिया (बिहार): उपसभापति महोदया, मैं तो सेना संशोधन विधेयक, 1992 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मेरे पूर्व वक्ता साधुवाद, सुधारवाद और बहुत सारी चीजों की बात कह गये । भटक कर वेदों की बात याद दिला गये । पर मुझे उस वक्त थोड़ा दुर्भाग्य महसूस हो रहा था । कि वेद और शास्त्रों की बात बोलने वाले लोग "आदरणीय मैडम" बोलकर पुकार रहे थे ।

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार) : "आदरणीय" शब्द पहले जोड़ा हुआ था । इसमें हर्ज क्या है ।

श्री एस० एस० अहलुवालिया : उपसभापति महोदया, सेना संशोधन विधेयक 1992 वाकई पहले आना चाहिए था । देर आये दुरुस्त आये । पहले इसलिए आना चाहिए था महोदया कि हमारा जो सेना विधेयक बना हुआ है वह 1911 में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का बनाया हुआ एक विधेयक है । उसी के प्रारूप पर, उसी को मेन ब्लू प्रिंट रखते हुए 23 जुलाई 1950 को सेना विधेयक बना था । इसमें बहुत सारी खामियां थीं ही, बहुत सारी कमियां तो थी ही । आज जो इस विधेयक को लाने के पीछे मकसद है, मैं समर्थन करते हुए भी थोड़ा इस पर अपना विचार प्रकट करना चाहूंगा और मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भले ही वे किसी भाषा का प्रयोग करें पर इन चीजों को जो आज सामने लाई जा रही हैं जैसे फील्ड दण्ड का समाप्त करना, सेना न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि या दोष मुक्ति के पश्चात भी दण्ड न्यायालय द्वारा उक्त दोष पर विचारण को समाप्त करना, ये आवश्यक भी थे क्योंकि प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धांत है कि एक दोष के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती है ।

1973 में जब क्रिमिनल प्रोसीडर कोड बना, संशोधन होकर एक नया क्रिमिनल प्रोसीडर कोड आपने बनाया उस वक्त चाहिए था ऐसे विधेयकों में थोड़ा लचीलापन लाने के लिए इसमें थोड़ा संशोधन करना । उस वक्त इस पर देखने की जरूरत थी कि वाकई हम सेना में सेवा करते हुए नौजवान या जवानों को कितना नेचुरल जस्टिस का अधिकार उनको दे सकते हैं या कितना अधिकार उनको दे सकते हैं अपने हकों की मांग करने के लिए या अपने हकों की लड़ाई करने के लिए या अपने अंदर रहते हुए अनुशासन में रहने के लिए क्या रास्ता दे सकते हैं उनको ।

उपसभापति जी, इस बीच 1950 से लेकर 1992 के बीच तीन लड़ाइयां भारत की सेना ने लड़ी हैं और गर्व से हम कह सकते हैं कि जिस दिन हमारे पास अस्त्र-शस्त्र नहीं थे, जिस वक्त लाल बहादुर शास्त्री ने इस सदन में खड़े होकर कहा था कि हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत की संस्कृति, भारत की सम्पदा और भारत की एकता और अखंडत की रक्षा करने के लिए हमें गोला-बारुद की जरूरत पड़ेगी। हम तो भावनाओं से ही जिंदा रहते हैं और भावनाओं से ही अपने देश की रक्षा करना जानते थे। उस वक्त सारे देश के लोगों ने समझा था कि वाकई ही हमारे देश के जवान जो सरहदों पर खड़े पहरा दे रहे हैं, उनके हाथों में उम्दा किस्म की बंदूकें नहीं थीं, उम्दा किस्म के बारूद नहीं थे, सोफिस्टिकेटिड आर्म्स नहीं थे लोगों से मुकाबला करने के लिए, पर उसके बावजूद भी हमारी जवान डटे रहे, अपने देश की, मादरे वतन की इज्जत की रक्षा करने के लिए भारत माता के आंचल की रक्षा करने के लिए डटे रहे और शहीद होते रहे।

उपसभापति जी, अगर ऐसे विधायकों में परिवर्तन लाने की जरूरत थी, वह उस वक्त थी जिस वक्त कार्य-प्रणाली बदली जा रही थी।

उसके बाद 1965 में युद्ध हुआ, उसके बाद 1971 में युद्ध हुआ। अगर वाकई हमें अपनी सेना में कोई परिवर्तन लाने की जरूरत थी, तो उस वक्त थी,

[श्री ए स० एस० अहलवालिया]

पर आज पता नहीं क्या मजबूरी आन पड़ी है कि रक्षा मंत्रालय के लोग, जैसा कि सुनने में आता है, माननीय मंत्री महोदय, इसको स्पष्ट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग सेना के अंदर जो अनुशासनहीनता शुरू हो गई है, जो अविचार शुरू हो गया है प्रोमोशन के बारे में घपलेबाजी शुरू हो गई है, उसके कारण बहुत सारे लोग वालंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं और वालंटरी रिटायरमेंट की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या यह सच है? और अगर यह सच है, तो यह बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि यह हमारे समाज की ऐसी व्यवस्था थी, जिसको हम मजबूत कर सकते थे—मजबूत थी और वहां क्योंकि देश प्रेम की भावना जुड़ी हुई थी।

उपसभापति जी, इसमें परिवर्तन लाने की इसलिए जरूरत है कि हम वही आदिकाल से चलाये हुए बैलगाड़ी के चक्कों को बदले बगैर, उस पर डीजल इंजन बिठा कर चलाना चाहते हैं। एक तरफ तो हमने सोफिस्टिकेटिड आर्म्स एंड एम्युनिशंस ले लिये हैं, पर उन जवानों को जो उन सोफिस्टिकेटिड आर्म्स और एम्युनिशंस को डील करते हैं और सारा दिन जूझते हैं और समाज में इतना कुछ देखते हैं—जब वह गांव वापिस आते हैं और देखते हैं कि गांव मे लेवरं ला आ गया है, गांव में जमींदारी के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, सामंतवादियों के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, गांव में आकर जब देखते हैं कि यहां के सामंतवादियों के अत्याचार और अनाचार के खिलाफ तो आंदोलन हुआ, हमारा देश आजद हुआ, उसके बाद बंधुआ मजदूर मुक्त हुए, पर हम यह खाकी वर्दी पहन कर, आर्मी की वर्दी पहन कर अभी भी वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद का चलाया हुआ कानून और उसके तहत हमारे ऊपर अमानवीय और अमानुषिक अत्याचार होता जाता है और हमें अपना अधिकार, नेचुरल जस्टिस नहीं मिलता। यह उनका दर्द है और उनकी तकलीफ है और यह तकलीफ जो फूट कर पड़ी है, तब आज मंत्री महोदय एक ऐसा संशोधन विधेयक लेकर आये हैं। यह पहले जरूरी था।

उपसभापति जी, यह संक्रामक रोग जो है भ्रष्टाचार का, यह संक्रामक रोग जो है अमानवीय अत्याचार का, यह जो दिन-प्रतिदिन हमारे समाज को ग्रसित कर ही रहा है, उसके साथ-साथ यह सेना को भी ग्रसित कर रहा है।

मैं बिहार से आता हूं और बिहार में हमारे जो फौजी भर्ती के दफ्तर हैं, उन दफ्तरों में चाहे जितना भी आदमी पहलवान से पहलवान नौजवान लड़का जाकर अपनी छाती नपवाने के लिए खड़ा हो जाए, अपनी उंचाई नपवाने के लिए खड़ा हो जाए, या दौड़ कर दिखा दे या छलांग लगा कर दिखाने के बावजूद जब तक बाबू की मुट्ठी गर्म नहीं होती, तब तक उसको फौजी दफ्तर में भर्ती नहीं किया जाता।

हमारे यहां जो एक्स-आर्मीमेन के रिहैबिलिटेशन के लिए जो प्रोग्राम है, हमारा जो सैनिक दफ्तर है वहां लोगों को टाईम पर पेंशन के कागज नहीं पहुंचते, उनकी विधवाओं को कागज नहीं मिलते। घर से दफ्तर और दफ्तर से घर दौड़-दौड़ कर लोग थक जाते हैं।

उपसभापति जी, जब तक वहां मुट्ठी गर्म न की जाए, यह संक्रामक रोग वहां भी ग्रसित हो गया है। मैं चाहूंगा कि ऐसे अधिकारों के देने के साथ-साथ इन की कार्य-प्रणाली में परिवर्तन करें और वहां सुधार लाने की कोशिश करें। और वहां सुधार लाने की कोशिश करें। उपसभापति महोदया, इत्तफाक से हमारे मंत्री महोदय जो कि पेट्रोलियम दफ्तर को भी देखते हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे गुजारिश करूंगा कि आपने एक निर्णय लिया था पेट्रोलियम विभाग ने कि आप जितनी भी वार विडोज हैं या जो सेना से निवृत होकर फौजी जवान एक्स-आर्मीमेन हैं, उनके री-हैब्लिटेशन के लिए आप प्रोग्राम लेंगे

और वहां पर आप उनको पेट्रोल पंप और गैस की एजेंसी देंगे। पर आज देखा जाता है कि वहां पर वह गैस की एजेंसी या पेट्रोल पंप किसी और के हाथ में चले जा रहे हैं, इनके हाथ में नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपको यह भी पता है, क्या आपने कभी खोज करने की कोशिश की है कि नाम तो वहां पर किसी वार विडो का होता है और उस एजेंसी को चला कोई और रहा होता है। वार विडो को एक कमीशन मिल जाती है। ऐसे काम क्यों होते हैं और क्यों कराए जाते हैं? जब आप उसको एजेंसी देते हैं तो उसको फाइनांस करने का भी आप बंदोबस्त करिए। फाईनांस के लिए वह भटक-भटक कर किसी व्यापारी के अड्डे चढ़ जाती है और व्यापारी से पैसे लेकर उसी का सूद चुकाती रहती है या उसी से पैसे लेकर अपना घर चलाती रहती है और उसकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं सुधरती है। आपका री-हैब्लिटेशन डिपार्टमेंट जो है वह सारे भारत में क्या कर रहा है? उसकी क्या-क्या सर्वे करते हैं, मोटी-मोटी रिपोर्ट्स तो देखने में लायब्रेरी को बहुत मिल जाती है, पर वास्तविकता क्या है उस पर जाकर देखें। मंत्री महोदय, जब से आप मंत्री हैं तब से कितने सैनिक दफ्तर आपने खुद अपनी आंखों से जाकर देखें हैं? कितने सैनिक दफ्तरों में जाकर देखा है कि सैनिकों की बहाली हो रही है, वहां नौजवानों को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है? या जहां सैनिक एक्स-आर्मीमेन के री-हैब्लिटेशन सेन्टर हैं, वहां जाकर खोज करके देखिए या अपनी आर्मी इंटेलीजेंस को एक काम सौंप कर देखिए कि वहां क्या हो रहा है। आप बताने की कृपा करें कि कितने लोगों को आपने निलंबित किया है? ऐसे केसों की संख्या बताएं जिन केसों में वाकई लोग प्रोमोशन नहीं मिलने के कारण दुखी होकर उन लोगों ने इस्तीफे दे दिए हैं या वालंटरी रिटायरमेंट मांगी है, ऐसे कितने केसेज हैं?

उपसभापति महोदया, आर्मी के बारे में जब सोचा जाता है तो एक चीज दिमाग में आती है कि आर्मीमैन को शराब मिलती है। आज तक किसी वैज्ञानिक की इस पर कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई कि शराब पीने से आदमी शक्तिशाली होता है। शराब पीने से आदमी शक्तिशाली नहीं होता है। चूहे को शराब पिलाकर कुछ देर को शेर जरूर बनाया जा सकता है, किन्तु वह फिर जब शराब का नशा उतर जाता है तो वह चूहा, चूहा ही बन जाता है। पर उसके बावजूद करोड़ों रुपये की शराब सस्ते दर में, बिना टैक्स के आर्मी के कैंटीन के माध्यम से बेची जाती है और वह बिकती है। एक्स-आर्मीमैन मैंने बहुत सारे देखें हैं कि जो वेजीटेरियन है, मीट नहीं खाते, टी-टोटलर हैं, शराब नहीं पीते और वह शराब की बोतलें बाजार में बिकती हैं। मैं आम देखता हूं। क्योंकि मेरे यहां मिलने के लिए बहुत से लोग आते हैं। वह कहते हैं कि साहब, मैं तो फलां-फलां आदमी के पास जा रहा हूं, कैंटीन जा रहा हूं। पूछा क्यों, तो बोला कि दो-चार क्रेट यहां से ले जाऊंगा। इससे कुछ धंधा हो जाएगा, आने-जाने का किराया निकल जाएगा। उपसभापति महोदया ऐसी परंपरा, जब चल चुकी है तो इसको रोकने की इस पर कोई रोक लगाने की जरूरत है। यह महात्मा गांधी का देश है और राज्यों में शराब बंद होने की बात सोची जा रही है और वहां खुले आम शराब दी जाती है। यह ब्रिटिश परंपरा थी और उस वक्त लोगों को शराब पिलाई जाती थी। इसलिए पिलाई जाती थी कि भूले रहो कि तुम भारतीय हो, भूले रहो कि तुम हिन्दुस्तानी हो। जो भी बगावती आये उस पर डंडे चलाते रहें, क्योंकि शराब के नशे में हो। महोदया, हम इस संशोधन को तो ले आए हैं। पर आर्मी के अंदर, सेना के अंदर जो यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद की परंपरा, चाल, ढाल, बोल, फाईल का काम करना, सब कुछ वही है। अभी तक बदला नहीं है। यहां तक कि वर्दियां जो कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद दे गया था, वहीं की वहीं रह गई और आज तक उसमें कोई बदलाव नहीं आया

[श्री एस0एस0 अहलुवालिया]

अच्छी चीज अगर हो तो ग्रहण करिए, उसको संभाल कर रखिए, सहेज कर रखिए, कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु दिन बदल रहे हैं, युग बदल रहा है, आप भी उसमें बदलाव लाइये और अच्छी चीज के लिए लाइये। और आज जरूरत है कि सेना में अनुशासन हो। मैं कभी-कभी तो छाती चौड़ी करके, सीना तानकर कहता हूं कि हमारे फौजी यह हैं, कितने गर्व से हम लोग कहते है और कभी-कभी कोई ऐसा मसला आता है हम उठ खड़े होते हैं, कभी-कभी शर्म से सिर झुक जाता है। कुछ दिन पहले नागपुर स्टेशन पर जो घटना घटी, जो दुर्व्यवहार और अनुशासनहीनता दिखाई आर्मी के जवानों ने, उसको देखकर तो आदमी का सिर शर्म से झुक जाता है। तो इन चीजों पर कंट्रोल करने के लिए आपने क्या किया ? आपने कोई रिफोर्मेशन कमटी बनाई या इस विधयक को लाने के लिये पहले आपने कोई वलफयर कमटी बैठाई थी ? इसमें सेना ने कोई रिकमण्डशन दी ? कोई सेना विभाग के दोनों ने आपको रिकमण्डशन द कि इन-इन चीजों पर परिवर्तन लाया जायेगा ? कितनी कमटी बैठीं ? कौन-कौन सदस्य थे? सिर्फ आर्मी आफीसर थे या गैर-आर्मी आफीसर भी थे या समाज सेवक भी कोई थे ? यह जरा बताने की आप कृपा करेंग।

उपसभपति महोदया, यह विधेयक एक अच्छा विधेयक है, एक अच्छी शुरूआत यहीं खतम नहीं करना है, इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैं अपने पूर्व वक्ता की तरह यह तो नहीं कह सकता कि मैं इसका विरोध कर रहा हूं, मगर मैं कहना चाहता हूं कि इसमें आमूल परिवर्तन लाने की जरूरत है।

महोदया, वर्ष 1911 में यह बना हुआ, फिर 1950 में बनाया, लेकिन 1950 के बाद जो इतने परिवर्तन आये, समाज में इतना कुछ जो परिवर्तन आया, हमारे कंस्टीट्यूशन में 70 से ज्यादा संशोधन हो गये, तो ऐसे बिलों में संशोधन की, आमूल परिवर्तन की जरूरत है क्योंकि समाज में परिवर्तन आ रहा है, लोग प्रगतिशील हो रहे है। आर्मी के बारे में हम गर्व करते है। आर्मी, यहां कहीं आग लगी हो, कहीं तूफान आ रहा हो, कहीं बाढ़ आ गई हो, कहीं आतंकवादी घटनाएं हो रही हों, जहां जरूरत हुई, उनको रात को 12 बजे, रात को 2 बजे मैसेज मिलता है और यह जवान चल पड़ते हैं परवानों की तरह, यों गाते हुए, लगता है, कह रहे हों–"ए नाखुदा जब किनारों से तेरे ही रहना, उधर ले चल जिधर से तूफान उठने वाला है"। उधर ही चलते हैं, जिधर तूफान उठते हैं और उस तूफान को शान्त करने के लिए लीन हो जाते हैं।

महोदया, कश्मीर की घटना या पंजाब की घटना बड़ी दर्दनाक घटना है और वहां अगर सोचा जाए तो कितने लोग आतंकवादी घटनाओं में मारे गए हैं और कभी तो आर्मी एक्सेस भी होती है और उसके कारण भी मारे जाते हैं। उन विधवाओं का, उन बच्चों का, उन लोगों का क्या होगा? कभी उनके भविष्य के बारे में आपने सोचा है ? इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज इन सभी चीजों में आमूल परिवर्तन की जरूरत है। आप कभी पंजाब में चले जाइए। आपको घर-घर में एक वार-विडो मिल जाएगी। आज उनकी मेहनत के लिए, उनकी रिहेब्लिटेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं? आज उस वार-विडो का लड़का जब जवान होता है तो उसको आतंकवादी घटनाओं में उठाकर बंद कर दिया जाता है या उस पर जबरदस्ती अत्याचार करके उसको आतंकवादी बना दिया जाता है। ऐसी घटनाओं को रोकने की जरूरत है।

महोदया, आज दिन पर दिन आर्मी का एक्सपोजर हो रहा है। लॉ एण्ड आर्डर के काम के लिए उसे लगा दिया जाता है। उसको ट्रेनिंग तो दी जाती है सरहद की रक्षा करने की और उसको लगा दिया जाता है पुलिस चौकी की रक्षा के लिए। इसको रोकने की जरूरत है, इसको दूर रखने की जरूरत है क्योंकि

इस बीच में उनमें विभ्रांति होती है और वे गलत रास्ते में पड़ते हैं। इस एक्सपोजर से उनको नुकसान पहुंचता है क्योंकि उनका मेण्टल टेम्परामेंट किसी और काम के लिए तैयार किया गया है। उसमें टूट आती है, उसमें दरार आती है, उसमें एक गल्फ क्रिएट होता है। इन चीजों को रोकने के लिए चाहिए कि कोई वेलफेयर कमेटी बैठे या सुधार कमेटी बैठे।

महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि रक्षा मंत्रालय को चाहिए कि पूरा आर्मी एक्ट चेन्ज करने के लिए कोई कमेटी बैठाई जाए और वह एक रिपोर्ट तैयार करे, जो पूरे सदन के सामने आए। आज तो हम इसमें मदद कर रहे हैं, आपको मदद करने के लिए खड़ा हुआ हूं, मगर आगे जब भी आप आएं तो आर्मी एक्ट पूरा ही आमूल परिवर्तन करके लाएं ताकि प्रगतशील भारत का प्रगतशील जवान अपने हक की लड़ाई लड़ सके। उसको कहीं संकोच न हो कि वादरे वतन के लिए मैं सरहदों पर लड़ रहा हूं, मेरा तो कम फायदा है, नुकसान बहुत है और मेरे गांव में जो मेरा भाई पेशा करता है, व्यवसाय करता है या नौकरी करता है वह ज्यादा फायदे में है। . . .

श्री एस. एस. अहलूवालिया: (क्रमागत) : यह जो देश-प्रेम की भावना में अड़चन आने की संभावनाएं हैं, इन को रोकने की जरुरत है। इसमें आमूल परिवर्तन लाया जाए यह कहते हुए मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

उपसभापति : अहलुवालिया जी ने जो बात कही, अभी कोई वार तो नहीं हो रहा है फिलहाल इम्मिडिएटली।

But in Kashmir and Punjab, the Army is deployed. Police people are also deployed. Now, they die in the process—they die in action, actually. Their wives are not being looked after. It is not necessary that they should become war widows only when there is a war. This is worse than a war—what is going on.

SHRI S. S. AHLUWALIA: They are fighting against the terrorists.

THE DEPUTY CHAIRMAN: This is a very important point, Mr. Minister. You are the Minister of State for Petroleum and also the Minister of State for Defence. Please look into it because about those women nobody bothers, about their children nobody bothers. There are many instances, which I personally know, where they are not being looked after. So, please take this into consideration. . . (Interruptions) . . This is a very serious matter because, after all, who is going to look after those widows if he country is not going to look after them?

श्री शंकर दयालसिंह : उपसभापति जी, मेरे से पहले दो व्यक्तियों ने भाषण दिए—एक श्री शिवचरण सिंह जी ने बड़े होश के साथ और दूसरे श्री अहलुवालिया जी हैं बड़े जोश के साथ। शिवचरण सिंह जी जब बोल रहे थे तो क्योंकि वह एक्स आर्मीमेन हैं, उनको तो बड़ा तर्जुबा है, सेना के कायदे-कानून को अच्छी तरह से समझते हैं और इस सेना विधेयक के बीच से ही वे गुजरे हैं, इसलिए उनका जब भाषण में सुन रहा था तो बार-बार यह सोचता था कि मैं क्या बोलूंगा क्योंकि मैं तो आर्मीमेन हूं नहीं, लेकिन जब अहलुवालिया जी ने भाषण दिया तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ भी बोल सकता हूं कि जो यह सेना संशोधन विधेयक है, इसको छोड़कर कुछ भी बोला जा सकता है, जैसा कि अभी अहलुवालिया जी ने दीन-दुनियां की बातें कहीं।

उपसभापति पांच मिन्ट में बोल दीजिए।

श्री शंकर दयाल सिंह : पांच मिनट में ही अपनी बात समाप्त करता हूं। जैसे उन्होंने पांच मिनट लिए, मैं भी उतना ही समय लूंगा, ज्यादा नहीं। महोदया, मैं उसमें नहीं जाकर आप जो चाहती है अपने परव्यू में आता हूं।

[उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) पीठासीन हुए]

भारतीय सेना का नाम गर्व के साथ प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, दोनों समय में लिया गया और दुनियां में जो सबसे अच्छी लैंड आर्मी मानी गई है, उसमें भारतीय सेना का अपना बहुत बड़ा स्थान है और दुनियां के जिन दूसरे लोगों ने सेना का इतिहास लिखा है, गौरव के साथ लिखा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकिंड वर्ल्ड वार में जो कुछ भी बड़ी से बड़ी लड़ाइयां हुई उसमें भारतीय सेना के जवान ही आगे रहे और उन्होंने अपने जोश से, अपनी वीरता से और अपनी बुद्धिमता से फर्स्ट वर्ल्ड वार और सैकिंड वर्ल्ड वार में जिन-जिन मोर्चों पर वे रहे, वहां उन्होंने विजय हासिल की। सेना के लिए सबसे जरूरी चीज उसका मनोबल है और उससे भी जरूरी चीज उसके अंदर अनुशासन है। उसका मनोबल नहीं टूटना चाहिए, उसका अनुशासन नहीं भंग होना चाहिए। लेकिन सेना संशोधन विधेयक के संबंध में चर्चा करते हुए हम यह कहना चाहते हैं कि कभी-कभी उसका जो मनोबल गिरता है, वह युद्ध भूमि में कभी नहीं गिरता, है, युद्ध-भूमि से अलग हटकर जब नागरिक भूमि में या समतल भूमि में जब वही सेना के जवान आते हैं तो उनका मनोबल गिर जाता है और गिरता इसलिए है कि हम चाहे भाषण कुछ भी दें, हम उनके मनोबल को गिराने का प्रयास कई ढ़गों से करते हैं और उसमें में यह नहीं कहता कि सेना के बड़े पदाधिकारी न होंगे, रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी न होंगे, लेकिन दूसरे लोग और हम लोग भी कहीं न कहीं उसमें शामिल है और शामिल इसलिए हैं कि एक चर्चा की गई जवानों की बहाली की और निश्चित रुप से भाई शिवचरण जी ने जो कहा कि जवानों की जो बहाली होती है, उसमें भ्रष्टाचार बहुत कुछ घर कर गया है, आम धारणाओं से हम लोग इस बात को जानते हैं। दूसरा है उनके स्थानान्तरण की, तीसरा है उनको सजा देने की, चौथी बात है पदोन्नति की और पांचवीं बात है उनके यहां जो चीजों की खरीद-फरोख्त होती है।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं विस्तार से इसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन-दो-चार बातें मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मैंने जैसे पदोन्नति की बात कही। तो इसे लेकर के कितनी आलोचनाएं होती रही हैं और उससे सेना का मनोबल टूटा है, बहुत बढ़ा है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। हमारे सामने उदाहरण है। दोनों सदनों में चर्चा हुई थी जब जनरल एस० के० सिन्हा का सुपर-सेशन हुआ था। यह तो एक उदाहरण है हमारे सामने। तो मैं समझता हूं कि बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिनको कहने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। मैं आपसे बहुत आदर के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का एक स्वरुप था, जो आजादी के पहले का स्वरूप था और जो ब्रिटिश जमाने में उसका निर्माण हुआ था। दूसरा स्वरुप आजादी के बाद का है, जिसमें हमने कई लड़ाइयां लड़ी। 1962 में चीन के साथ लड़ाई हुई, 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई 1971 में बंगला देश की आजादी की लड़ाई हुई। सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा आज हमारे सदन में नहीं हैं। लेकिन वे यहीं पर बैठते थे। वही जनरल अरोड़ा जिन्होंने बंगला देश में ढाका में 90 हजार पाकिस्तान के सशस्त्र फौजों को एक आदेश पर सरेंडर करवा दिया था। अब यह दूसरी बात है कि राजनीति के सामने छः साल बाद उनको सरेंडर करना पड़ा, फिर इस सदन में नहीं लौटकर आए। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उसका मनोबल हम कहां तोड़ते हैं? आर्मी हमारी बनी है, ठीक है। एक तो लडाई के मोर्चे के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, सीमावर्ती क्षेत्रों और बड़ी से बड़ी ऊंची जगहों में चाहे वह नाथलापस हो, लेह की सरहद हो या खेमकरण हो, कहीं भी हम उसको डेप्यूट करते हैं और वह आर्मी के जवान वहां अनुशासनबद्ध होकर के खड़े रहते हैं। जानना चाहता हूं कि उनको सिविलियन कामों में इतना क्यों लगाते हैं। नागरिक कामों में शांति के लिए आपके पास पुलिस है, बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, दूसरे कई साधन हैं। फिर जहां-तहां नागरिक कामों में उनको हम क्यों डिप्यूट कर देते हैं? उनको तो लाना ही नहीं

चाहिए । हम उन्हें राजनीति का शिकार क्यों बनाते हैं? कभी भी उनके अंदर इस तरह की भावना नहीं आनी चाहिए ।

जो सेना के अन्दर खरीद-फरोख्त की बात है, उपसभाध्यक्ष जी, मैं गढ़े मुर्दे को उखाड़ना नहीं चाहता हूं । लेकिन बोफर्स की काली छाया हमारे ऊपर से अभी समाप्त नहीं हुई है । वह भी आर्मी के लिए ही खरीद हुई थी बोफर्स की, जिसको लेकर देश में एक तहलका मचा । मैं तो आपसे आदर के साथ यह कहना चाहता हूं कि आर्मी को जितनी सुविधा मिलनी चाहिए उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए और उसमें अनुशासनबद्धता के लिए उतनी मिलनी चाहिए । इसीलिए मैं सेना संशोधन विधेयक की जो अच्छी बातें हैं, उनका समर्थन करता हूं, जो बुरी बातें हैं उनका मैं समर्थन नहीं करता । भाई अहलूवालिया जी ने स्वयं कहीं भी समर्थन नहीं किया । ऊपर से लेकर नीचे तक आलोचना की और अन्त में कहा कि मैं इसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं ऐसी बात आपसे नहीं कर सकता । लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि देश की स्वतंत्रता देश की अखंडता और देश की सुरक्षा, इन तीनों के लिए जब भी हमें जरूरत पड़ी है तो हमारे आर्मी के जवान खड़े रहे हैं और उन्होंने अपने त्याग और बलिदान का परिचय दिया है, चाहे वह लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुई हो या चीन के साथ हुई हो । गल्तियां हमारी रही हैं, हमने उनको सड़े अस्त्र-शस्त्र दे दिए हैं, वे किस तरह की लड़ाई लड़ते ? लेकिन अपनी कुरबानी उन्होंने की है, अपना खून उन्होंने बहाया है और अपने खून से इस देश की आजादी को बराबर बरकरार रखा है । हमें उन पर गौरव होता है इस गौरव को रक्षा के लिए जो आप यह सेना विधेयक लाए हैं, हम इसका अनुमोदन करते हैं, समर्थन करते हैं । यदि इसके पीछे आपकी कोई दूसरी मंशा हो तो आप समझिए कि हमें उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं ।

9.00 P.M.

अंतिम बात हम यह कहना चाहते हैं कि हम कुछ लोग हां ऐसे हैं इस सदन में जो हिन्दी पर जोर देते हैं और हिंदी की जो कॉपी आपकी यहां आती है उसी से हम मदद लेकर चलते हैं । चाहे भाई राम नरेश यादव जी हों, चाहे अहलूवालिया जी हों, हम लोग प्रयास करते हैं कि इसके थ्रू ही पढ़ें, बोलें । मैं आखिरी बात यह कह रहा था कि जो हमारे सामने सेना संशोधन विधेयक 1992 आया है, इसको मैंने पढ़ा । मेरे जैसा व्यक्ति जो कि कुछ हिंदी का ज्ञान रखता है... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : ज्ञान नहीं, काफी ज्ञान रखता है ।

श्री शंकर दयाल सिंह : मेरे जैसा व्यक्ति जो हिंदी का कुछ ज्ञान रखता है, वह नहीं समझ सका कि, इसके साथ जो हिंदी अनुवाद हमारे पास आया है, उसमें क्या लिखा है, दो बार पढ़ने के बाद मुझे फिर अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ा तब मैं समझ सका कि क्या है ये । जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं । अनुवाद में क्लिष्टता नहीं बल्कि सरलता होनी चाहिए, सुबोधता होनी चाहिए ताकि आदमी समझ सके कि क्या लिखा है । अब देखिए---

"और निम्नलिखित में से एक या अधिक दंड अधिनिर्णीत कर सकेगा, अर्थात्—

(।) तीव्र-धिग्दंड या धिग्दंड

दूसरी जगह लिखा है कि—

"तीन वर्ष की कालावधि के अंदर न हो जाए, और ऐसी कालावधि की संगणना करने में वह समय जिसके दौरान ऐसा व्यक्ति फरार होकर या अपने को छिपाकर गिरफ्तारी से बचता है या जहां किसी अपराध की बाबत कार्यवाही का संस्थित किया जाना किसी व्यादेश या आदेश द्वारा रोक दिया गया है, वहां व्यादेश या आदेश के बने रहने की अवधि को, उस दिन को, जिसको वह जारी किया गया

[श्री शंकर दयाल सिंह]

गया था या दिया गया था और उस दिन को जिस दिन उसे वापस लिया गया था, अपवर्जित किया जाएगा"।

न यहां कहीं कॉमा है और न यहां कहीं डैश है, शुरुआत के बाद एक फुल स्टॉप है। मैं ऐसा नहीं चाहता। आर्मी के जवान भी जब लैफ्ट-राईट करते हैं तो उसमें भी कितनी सुघड़ता होती है, कितना अनुशासन होता है। ये जो वाक्य का मार्च है इससे तो लग रहा है कि जैसे मेल गाड़ी दौड़ रही हो। तो मैं कहता हूं कि जिस तरह से आर्मी में अनुशासन और सुघड़ता है वैसे ही इन कामों में भी सुघड़ता होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ आपने अगर जवानों के भले के लिए और देश में कायदा-कानून और अनुशासन रह सके, उसके लिए यह बिल लाया है तो मैं मंशा समझ सकता हूं कि क्यों इस बिल को लाने की जरुरत पड़ी। पिछले दिनों कई हिस्सों में जिस तरह की अनुशासनहीनता देखी गई और कई आर्मी हैडक्वार्टर्स में इस तरह की अनुशासनहीनता का परिचय मिला, वैसी स्थिति में यह लाना जरुरी हो गया। इन शब्दों के साथ मैं इसकी अच्छी बातों का समर्थन करता हुं। धन्यवाद।

श्री एस०एस० सुरजेवाला (हरियाणा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं ऐसे प्रांत से आता हूं हरियाणा से, जिसके सबसे ज्यादा लोग आर्मी में गए और ऐक्स-आर्मीमेन जो हैं, उनकी संख्या अभी भी देश के और प्रांतों से अधिक है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातों के लिए तो मुबारकबाद देना चाहूंगा मंत्री महोदय को कि फील्ड पनिशमेंट जैसी दकियानूसी, पुरानी, रुढ़िवादी, अंग्रेजों की चलाई हुई जो शारीरिक यातनाएं देते थे, जो कायम नहीं रखी जानी चाहिए थी, ये हटाई लेकिन 40 साल बाद हटाई, यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसके साथ ही जो इंप्रिजनमेंट है, जो कैद है, वह ट्रॉयल के समय में जो कैद काटी जाएगी, उसको अगर बाद में सजा हो जाए तो उसमें गिन लिया जाएगा तो यह भी बहुत उचित बात है लेकिन 40 साल में जो लोग ये भुगत चुके हैं उन बेचारों का क्या कसूर था? यह एक बड़ी दकियानूसी बात थी, जो आज ये ठीक करने के लिए जा रहे हैं।

बाकी बातें बहुत साधारण हैं और 1989 का जो जाब्ता फौजदारी था, उसको 1973 का जो जाब्ता फौजदारी है, उसकी धाराएं लागू की जा रही हैं जो देर से की जा रही है, लेकिन इनका स्वागत है। मैं केवल दो बातें कहकर अपनी बात खत्म करुंगा। एक तो यह है कि एक रैंक और एक पैंशन जो है' ये मांग पूरे देश के जो एक्स-सर्विसमैन हैं, उनकी रही है। पिछले दिनों सरकार ने, हमारे रक्षा मंत्री ने, प्रधान मंत्री जी ने इस को स्वीकारा लेकिन एक हाथ से उन को देकर यह बात मानी और दूसरे हाथ से वापस ले लिया। मुझे नहीं पता कि इसमें अधिकारी जो हैं, जो कानून और नियम बनाने वाले हैं, उनका दखल है या राजनीतिक लोगों का दखल है। जो अब कहा जा रहा है वह यह है कि ऐसे ऐक्स सर्विसमैन जिन्होंने रिइंप्लायमेंट स्वीकार कर लिया, चाहे एक दिन के लिए भी स्वीकार कर लिया, उनको ये बेनिफिट, ये लाभ नहीं मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि 90 परसेंट से 95 परसेंट ऐक्स-सर्विसमेन इस बेनिफिट से, इस लाभ से वंचित रहेंगे। यह बहुत ज्यादा अनुचित बात है। इसके द्वारा जो ऐक्स सर्विसमेन, आर्मी के लोगों में एक बेचैनी हो दूर करने की मंशा थी, वह पूरी नहीं होगी।

महोदय, मैं एक बात और कहकर खत्म करता हूं। ऐक्स आर्मी के लोगों के लिए इलाज कराने के लिए बीमारी का हमारे आर्मी अस्पतालों में जाने का कोई स्थान नहीं है। आर्मी के अस्पताल आर्मी के बहुत ज्यादा ऐक्सपेंड होने के कारण मरीजों से भरे पड़े हैं, उन में स्थान की कोई उपलब्धि नहीं है। ऐक्स आर्मीमेन जिनकी गिनती बहुत ज्यादा है, वह बेचारे दर दर भटकते फिरते हैं। मैं मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहूंगा

कि क्या वह शुरु में तजुर्बे के तौर पर इस देश में चार बड़े बड़े अस्पताल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की तरह चार स्थानों पर जहां आर्मी के लोग तथा ऐक्स आर्मी के लोग ज्यादा हों, वहां उनके लिए कायम करेंगे ताकि उनको बीमारी के इलाज के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें ?

मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसका उत्तर दें। धन्यवाद।

SHRI RATNA BAHADUR RAI (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, our Armed Forces have written glorious chapters in the history of this country with their sweat and blood. After independence they have heroically fought some major wars and have earned prestige and glory for the country. Besides, they have and are engaged in combating a good number of insurgencies in different trouble-prone regions of the country. During the worst days of natural calamities our Armed Forces have always stood by the side of suffering citizens. The sacrifices and contributions of our jawans in the defence of our motherland, for preserving the sovereignty and integrity of the country require no scrutiny or explanation. But how concerned we are for their problems warrants serious scrutiny and assessment. When the country is in danger, jawans became a household word. When the danger passes they are forgotten like anything as an adage goes in English "God and soldiers all men adore, in time of danger, and no more." This attitude is unfortunate and condemnable. This should be changed.

It is a welcome move that better late than never teh Central Government realising the urgency of bringing some change in the existing Army Act of 1950, have come out with certain concrete amendments. But these amendments are of a very limited nature. As stated by the Minister the purpose of the amendments to 22 clauses of this Bill—there are 196 Clauses in total—is to provide more flexibility and better delegation of powers in order to more effectively handle the increased manpower and resources of the Army and to do away with the harsh, archaic and obsolete provisions which are no longer in conformity with the modern jurisprudence.

It is a fact that our Armed Forces with their long attachment with the British rule are yet to get rid of the past colonial legacy. The philosophy of an Armed Force which was instrumental in the hands of imperialist rulers to suppress the freedom movement in the name of Army ethics or morality or discipline cannot be the same as that of an Armed Force of an independent republic. But, unfortunately, we are yet to formulate a comprehensive policy regarding the Armed Forces and running the affairs with the Acts lended from the Colonial Army Act of 1911. To make this Act more effective and comprehensive and to suit the changed conditions, I feel, a detailed discussion is necessary for bringing all the aspects of the Armed Forces into assessment.

While expecting sincere discharge of duties on the part of the Armed Forces, we should not overlook our own omissions and commissions that put their morale in jeopardy.

There are allegations that in comparison to other fields, the Armed Forces are neglected while determining their status and prestige. That is why young and brillant talents select army careers as optional only. In 1947, when India achieved Independence, the Commander-in-Chief was No. 2 in the Government which, for a democratic republic like India, is perhaps too high. But, as alleged, it has been reduced to the 28th position now which is too low. This process of devaluation of Armed Forces Officers' rank and status has now percolated to every Government department not only at the Centre but also in the States.

[Shri Ratna Bahadur Rai]

In the army circles, allegations are rampant that the bureaucrats make the politicians amend the regulations to improve their status and downgrade the status of Armed Forces Officers. Such misunderstandings should be tackled with proper care and concern.

It is true that discipline is the prime need in the Armed Forces. But this should not be only through coercion or imposition. Loyalty and patriotism cannot be instilled in the hearts if there is no spontaneity or sense of voluntaryism. For this, mutual trust and understanding between the civil and army administration is necessary. Army Acts and regulations should not overlook the problem of the Armed Forces and their family members.

When an army Officer or Jawan is retired at middle age, he is faced with the problem of re-employment. There is no secure post for him. With the paltry pension, it is not possible for him to maintain his establishment.

There are problems of medical facilities for the family members, particularly, living in the interior rural areas. Due to the strict norms to be followed, family members cannot take advantage of the facilities.

During riots and disturbances, which have become the order of the day, along with the civil houses and properties, the properties of the Armed Forces also are damaged, gutted to fire or looted. There should be a provision for their compensation.

There are constant complaints regarding the delay in verification of recruits. This delay which takes from three to four years sometimes is due to the callousness of the authorities at the training centres and civil administration. Such callous acts cause great financial loss to the serving soldier and hamper his career.

The demand of one-rank, one pension is a long-pending grievance of the Armed Forces. Unfortunately, it is yet to be conceded.

If we are to make our Armed Forces 'unputdownable' in the real sense of the term, their grievances should be considered on special priority.

As an experienced saying goes, it is not the big armies that win battles but the good ones. Our endeavour should be not only to increase the strength of our army in number and size but also to see that they are morally up physically well and humanely good.

In the third world perhaps, ours is the only apolitical army. It is our invaluable asset. Our Acts and regulations should be to mould the life and thinking of our Armed Forces to defend and promote the high values of our democracy, national integrity and national pride.

With these words, I conclude. Thank you.

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, सेना संशोधन विधेयक के उद्देश्य और कारण का जो विवरण दिया गया है बिल के साथ, इस विधेयक के साथ और मंत्री जी का जो बयान हुआ है सदन में, मैंने उस उद्देश्य और कारण को भी पढ़ा है और मंत्री जी ने जो बयान दिया है, मैंने उसे भी ध्यान से सुना है । 1911 में जो अंग्रेजों के समय में कानून बना था सेना का, मंत्री जी ने कहा कि 1950 में इसलिए संशोधन किया गया कि संविधान से तदात्म्य हो सके, एकरूपता हो सके और अब जब इन्होंने संशोधन प्रस्तुत किया है, आज इसमें मंत्री जी ने यह कहा कि 1973 में दण्ड प्रक्रिया संहिता, सी०आर०पी०सी० के अनुसार इसको बनाने के लिए हम संशोधन कर रहे हैं । लेकिन मेरा कहना है कि सन् 1950 में संशोधन किया और वह कानून आज तक है और जो आज संशोधन आपने प्रस्तुत किया है, यह सब कुछ मिलाकर न तो संविधान के अनुरूप हो सका है और न 1973 की जाफ्ता

फौजदारी कानून के अनुसार हो सका है। माननीय सदस्यों के ये सुझाव आये हैं कि इसमें आमूल-चूल परिवर्तन होने चाहिए। मैं आमूल चूल परिवर्तन के पक्ष की बात तो नहीं कहता, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आमूल चूल परिवर्तन नहीं, आपको एक नया सेना कानून पास करना चाहिए और एक नया विधेयक पूरा का पूरा लाना चाहिए। तब हमारी सेना के मनोबल के अनुसार, उनके परिश्रम के अनुसार और उसके शौर्य के अनुसार कोई कानून बन सकेगा और तभी जाकर इस देश की सेना का मनोबल ऊंचा हो सकता है। इसमें आप कितने ही संशोधन करेंगे, उन संशोधनों से कोई लाभ होने वाला नहीं है। यह बहुत साधारण-सा संशोधन किया गया है और न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखकर किया गया है। न तो इस पर माननीय मंत्री जी ने बहुत ध्यान लगाया है और न ही इनके विभाग ने कोई बहुत ध्यान दिया है कि किस तरह का संशोधन होना चाहिए।

आपने कह दिया कि किसी भी व्यक्ति का दोहरा ट्रायल नहीं होगा, दो बार ट्रायल नहीं होगा। लेकिन आज तक यह क्यों होता रहा है? 1950 में जब आपने संशोधन किया तो उस समय क्यों नहीं किया? फील्ड पनिशमेंट आप समाप्त कर रहे हैं। उस समय क्यों नहीं समाप्त किया? आज क्यों समाप्त करने की बात सोच रहे हैं? यह जो संशोधन कर रहे हैं यह मामूली सा संशोधन है। संशोधन तो ठीक है, उचित है, लेकिन इस संशोधन को 1950 में करना चाहिए था। जो आज विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। इन संशोधनों का मैं समर्थन करता हूं। लेकिन मैं पुनः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि आपको एक नया कानून सेना के लिए बनाना पड़ेगा। अगर नया सेना के लिए कानून नहीं बनेगा तो 1911 और 1950 के कानून से इस देश की सेना का मनोबल ऊंचा नहीं रह सकता। इस देश की एकता और अखण्डता की रक्षा करने में यह कामयाब नहीं रहेगा, असमर्थ हो जाएगा इस पुराने कानून की वजह से। सैनिक का कार्य कितने जोखम होता है, कितने साहस का होता है, मुझे यह थोड़ा करीब से देखने का अवसर मिला है कि हमारे देश के सैनिक सीमाओं पर किस तरह से डटे रहते हैं। दुश्मन के छक्के किस तरह से छुड़ा के रख देते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से इन सैनिकों के लिये चाहे वह सेवा में हो या सेवा से निवर्तमान हो गये हों या वीरगति को प्राप्त हो गये हों, न तो इन सैनिकों के प्रति सरकार की हमदर्दी लगती है और न सैनिकों के परिवार वालों के प्रति हमदर्दी लगती है। मैं इस पर लंबे विस्तार से नहीं जाना चाहता केवल दो उदाहरण देना चाहता हूं, जिनकी व्यक्तिगत जानकारी मुझे है। चीन से जब हमारी लड़ाई हुई थी मान्यवर तो अब्दुल हमीद जिनका नाम इतिहास में लिखा जायेगा, हमारे उत्तर प्रदेश जिले के गाजीपुर जिले के रहने वाले थे। उन्होंने दुश्मन के पैटर्न टैंकों को तोड़ दिया था। लेकिन मान्यवर, आज उनकी विधवा विलख रही है। तो कहां सेना के जवानों का मनोबल आप ऊंचा रख सकेंगे? सरकार ने कुछ नहीं किया। केवल उनके गांव का नाम धामूपुर को बदलकर हमीदधाम कर दिया जैसे कि बहुत बड़ा तोहफा दे दिया और एक तीन किलोमीटर सड़क को कह दिया हमीद रोड। हमारे माननीय बिजली मंत्री कल्याणनाथ राय जी...

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान): महोदय, अब्दुल हमीद चीन की लड़ाई में नहीं थे, पाकिस्तान की लड़ाई में थे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Whatever it may be, Abdul Hameed was known for his gallantry and sacrifice.

SHRI YASHWANT SINHA (Bihar): He is a recipient of Param Vir Chakra.

श्री ईश दत्त यादव: मान्यवर, मीणा जी ने जो कहा है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। बोलते समय ऐसा हो गया। लेकिन सरकार ने उनके लिये क्या किया। जिसको

[श्री ईश दत्त यादव [

परमवीर चक्र मिला, उसके बीबी और बच्चे आज बिलख रहे हैं । माननीय कल्पनाथ राय जो यहां बैठे हैं, हमारे बिजली मंत्री...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): If this is so, the Government should look into it. If this is the state of affairs of the family, the Government should look into it and try to help them.

श्री ईश दत्त यादव : हमारे माननीय बिजली मंत्री श्री कल्पनाथ राय जी यहां बैठे हुए हैं । मान्यवर, उनके क्षेत्र के एक ब्रिगेडियर सौदागर सिंह थे । उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनकी मदद की यह मैं जानता हूं, यह मेरे जिले की बात है, मेरे क्षेत्र की बात है । लेकिन सरकार ने क्या किया ? मेरी जानकारी में सरकार ने, लगता है कुछ नहीं किया । सड़क के किनारे एक सीमेंट की स्टेच्यू खड़ी कर दी गयी है । उनको भी कोई चक्र मिला हुआ है । लेकिन उनके बीबी और बच्चों की स्थिति वही है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सेना में जो काम करते हैं, सीमा पर जो काम करते हैं, उनको अगर अपने परिवार की चिंता रहेगी, अपने बीबी बच्चों की चिंता रहेगी तो आपकी सीमाएं सुरक्षित नहीं रह सकेंगी । अगर उनके सामने अब्दुल हमीद और ब्रिगेडियर सौदागर सिंह का आदर्श रहेगा तो वह सीमा की रक्षा करता हुआ जरुर मरेगा लेकिन बाद में उसके बीबी और बच्चों की हालत भी वही होगी जो इन दोनों लोगों के बीबी-बच्चों की हुई है । इसलिये आप कानून में इस तरह का परिवर्तन करें ताकि सेनानियों को बख्शीश देने की जरुरत ही न पड़े । अगर हमारा कोई सीमा प्रहरी, जवान, मातृ भूमि की रक्षा करते हुए, वीर गति को प्राप्त होता है तो उसको दूसरे ही दिन, हफ्ते भर के अंदर ही कानून के मुताबिक उसके परिवार को, उसके बीबी-बच्चों को, जो उसके आश्रित हैं उनको सारी की सारी सुविधायें मिल जानी चाहिये । मान्यवर, आप सेना के मनोबल को ऊंचा उठाने का काम नहीं कर रहे हैं । जब तक सेना का मनोबल ऊंचा नहीं उठेगा, तब तक आपके देश के जवान मन से, लगन से देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं । अभी जो माननीय शंकर दयाल सिंह जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि सेना को सिविल कामों में क्यों लगाया जाता है ? जब नदी में बाढ़ आती है तो सेना के जवानों को वहां भेज दिया जाता है । मामूली दंगा और बड़ा दंगा हो जाय तो वहां पर सेना के जवानों को लगा दिया जाता है । आप उनको क्यों लगाते हैं ? आप वहां पर अपने बी०एस०एफ० को लगाइये, सी०आर० पी०एफ० को लगाइये, इसके लिये सिविल पुलिस रखिये, जितनी आपके पास शक्ति है पहले उसका इस्तेमाल करिये । लेकिन आप, जहां कहीं भी कोई घटना होती है, सेना के जवानों को लगा देते हैं । डकैत पकड़ने के लिए भी सेना के जवानों को लगा देते हैं । इस देश के अन्दर बाकी जो बल बने हुए हैं यह बल किस काम के लिए हैं ? उनको क्यों नहीं आप इस्तेमाल करते हैं ? मेरा अनुरोध है कि जब तक कोई बहुत विषम परिस्थिति न आ जाए मैं पंजाब और कश्मीर के बारे में नहीं कहता लेकिन जब तक कोई विषम परिस्थिति न आ जाए छोटे छोटे कामों के लिए आप सेना का प्रयोग मत करिये । भूतकाल में जो गलतियां हुई हैं जिनको मैं गलतियां मानता हूं देश के लोग भी गलतियां मानते हैं अपनी सेना को बिलावजह बिना किसी लाभ के आप जान से मरवाने की कोशिश मत करिये । श्रीलंका में आपने सेना भेजी । गलती महसूस हुई होगी । श्रीलंका में आपको सेना को भेजने की आवश्यकता नहीं थी । कितने लोग मारे गये कितने परिवार बरबाद हो गये कितने बच्चे अनाथ हुए कितनी सौभाग्यवती विधवाएं हो गईं ? किसलिए हो गई ? क्या लाभ आपको मिला था ? आप केवल खैरखाही में केवल अपने नाम के लिए अपनी सेना को दूसरे देशों में न भेजने का कष्ट करें ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आपने काफी बातें कह दी हैं। अब समय काफी हो गया है।

श्री ईश दत्त यादव : ठीक है मान्यवर कई बार आप इशारा कर चुके हैं लेकिन घंटी नहीं बजा रहे हैं। यह आपकी कृपा है। लेकिन आपकी आज्ञा मानूंगा और केवल एक चीज कह कर समाप्त करूंगा। अंग्रेजों के राज से जो जाति के आधार पर हमारे यहां सेना की रेजीमेंट्स बनी हुई हैं इन जाति के नाम पर बनी हुई रेजीमेंट्स को आप समाप्त करने की कोशिश करिये। इन शब्दों के साथ जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है मैं इसका समर्थन तो करता हूं मंत्री जी ने भी कहा है पता नहीं आधे दिल से या पूरे दिल से कि एक साल के अन्दर हम विधेयक में संशोधन लाने का प्रयास करेंगे। मेरा अनुरोध है कि आप संशोधन मत कीजिये पूरे का पूरा नया कानून बनाइये। इसमें आप सेना के वर्तमान लोगों को रखिये रिटायर्ड लोगों को रखिये जो अपनी इच्छा और राय खुले दिल से रख सकें समाज के वरिष्ठ लोगों को रखिये राजनीतिज्ञों को रखिये भूतपूर्व सैनिकों को रखिये और इस तरह से एक समिति बनाइये और उस समिति के आधार आप सेना का एक नया कानून बनाइये। धन्यवाद।

SHRI S. KRISHNA KUMAR: Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to thank, on behalf of the Government, the hon. Members who have participated in this debate. Shri Shiv Charan Singh, Shri S. S. Ahluwalia, Shri S. S. Surjewala, Shri Ratan Bahadur Rai and Shri Ish Dutt Yadav, all, have given valuable suggestions for improving the functioning of our armed forces. Sir, you would appreciate that if I venture to answer all the points made by them which cover the entire spectrum of the functioning of the Indian Army, then my reply must perforce be elaborate. I don't think the sense of the House is such. It is not that I cannot afford a detailed reply. I can. I would have loved it, but a different situation. This is not a reply to the demands for grants. This is only a discussion on the specific amendments which have been brought before this august House. Firstly, We ourselves have admitted that for the last four decades the original Army Act was not sought to be amended. These 22 amendments or the amendments to the 22 Sections which have been brought before this House relate to removal of the provision for field punishment which is in the nature of restraining the person physically, using chains and ropes and so on which might have been the done thing in the distant past. It is no longer relevant. It is archaic and the punishment has not been awarded ever in independent India. There are other punishmtnts which the courts-martial, especially summary courts-martial can award while the army is on the march or otherwise and they would suffice to deal with any situation of discipline in the field. So 9 sections or amendments relate to the removal of the provision for field punishment. Another 5 sections relate only to the change of the nomenclature of the CrPC—CrPC, 1878 to CrPC, 1973. So the substantive amendments are only in relation to 8 sections. Fortunately for us and happily for us all the hon. Members have supported the rationale for these amendments. They have only said that these amendments should have been brought earlier. But none of them have said that any of these amendments are unnecessary or that the amendments should have been made in a different way. In fact, no amendment has been moved by any hon. Member of the Rajya Sabha.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Don't provoke them to make any amendments.

SHRI S. KRISHNA KUMAR: Sir, I take it as far as amendments are concerned, these 8 substantive amendments are concerned, there is consensus in this House that these amendments are long overdue and that

[Shri S. Krishna Kumar]

these amendments have been made with correct rationale and they will be beneficial for the better functioning of the armed forces. Sir, many references have been made to the functioning of the army, its discipline, the corruption which is alleged in the functioning of the armed forces. Mention was made about training. Mention was made about rehabilitation of ex-servicemen and so on. A large number of points have been made which relate to the various facets of the functioning of the army. As I said, these do not relate to the army. As I said, these do not relate to the amendments proper. Sir, as a member of the Government and as representatives in the Defence Ministry we do admit that like any other segment or body politic in the country, like any other section of society in the country the armed forces are also not functioning in a perfect manner. We do not claim it. The armed forces cannot be isolated from the functioning of the society and the body politic in this country Corruption and things like that are a general issue. Of course, the points made by the Members are well taken. It is the effort of the Defence Ministry or for that matter it is the effort of any Ministry or any responsible person to impove the functioning of the organisation. There have been many committees. Sir, all the hon. Members asked, 'what is being done about this, what is being done about that? It is not as if the Defence Ministry is sitting idle. It is one of the biggest Ministries. It is highly structured. There have been so many committees which go into various aspects. Improving of the functioning of the various aspects of the Defence Ministry is a continuous process. I would only like for the sake of brevity to confine myself to two or three main aspects of these amendments. Firstly, some of the Members have said that in spite of these amendments the Army Act remains archaic and to a large extent somewhat unconstitutional and so on. I would like to say that after the Army Act was promulgated in 1950 till date, in the last 42 years not a single section of the Army Act, not any of the subordinate legislations or rules and regulations made under the Army Act has ever been struck down by any High Court or the Supreme Court in the country, which means it is entirely constitutional. Not a single provision has been struck down. Secondly, the founding fathers of our Constitution themselves had acknowledged that the armed forces should be treated in a separate perspective. They have been insulated. The framers of our Constitution have insulated the armed forces, the court-martial and other proceedings from the power of superintendence of the High Courts under article 227 (4) and also from the extraordinary powers conferred upon the Supreme Court, the grant of special leave for appeal, etc. This special dispensation was given to the Army and the armed forces in the Constitution in order to maintain the sanctity and inviolability of military discipline as against the general trend, general manifestation in the society, the various facets of the society, in our country. Sir, I would only emphasise before this august House that the armed forces are the last instrument of State power...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mr. Minister, Members will appreciate if you can just reply to the points raised by different Members.

SHRI S. KRISHNA KUMAR: This is precisely what they have raised. Therefore, Sir, discipline and morale are very essential and if anybody can interfere with the court-martial proceedings and during the court-martial poceedings they can go to court and so on and so forth, like in a civil area, if the Commanding Officers are not respected, we cannot run the Army. I would have liked to answer all the points. But...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Do you want to say something about Mr. Abdul Ha-

mid who was killed in the Pakistani war?

SHRI S. KRISHNA KUMAR: About martyr Abdul Hamid and others, there are well laid-down procedures on how our matrys have to be respected and how various benefits have to be given to their families. All this has been done not only by the Central Government but by the concerned State Government, so far as Abdul Hamid is concerned. We are not aware of any privation to that family. We have taken note of the hon. Members' suggestions and we shall certainly consider them. We shall take into account all the points raised by the hon. Members; we have noted down all of them and shall certainly implement whatever is possible. I would like to conclude by saying that whatever has been brought before you is progressive. It is in the interests of the better functioning of the armed forces. It has been long overdue. It is not totally comprehensive. But as far as the other hundred sections are concerned, a high-level committee is going into each of these sections and if any further amendment is necessary in the light of the past experience, a revised legislation or further amendments will be brought before the House subsequently. I commend these amendments for the consideration and passing of this House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Now the question is:

> That the Bill further to amend the Army Act, 1950, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Now we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 19 were added to the Bill

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI S. KRISHNA KUMAR: Sir, I move:

> That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I think the statement is self-speaking and I don't think that any clarification is required. Anyhow... (*Interruptions*) . . .I don't think. You make the statement.

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): You lay it on the Table. This can be laid on the Table.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): If you want, I have no objection. I have gone through it.

SHRI ASHIS SEN: But the statement requires certain clarificaitons. This is not the time for any statement. We do not get an opportunity to ask for any clarifications.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): See, there was a demand that he should make a statement. That is why, he is waiting.

SHRI ASHIS SEN: If he has waited so long and if he cannot wait further, he can go without making the statement.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): If you want to ask for clarifications, I have no objection.

STATEMENT BY MINISTER—F.I.R. FILED BY SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT/C.B.I. AGAINST THREE OFFICIALS OF POWER FINANCE CORPORATION

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI KALP NAH RAI): The Delhi Special